2012/00172

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 112/2012 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये कविता शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गोपाल सिंह गुर्जर पुत्र श्री मगुराज गुर्जर, निवासी 35, मार्ग नम्बर 4, कुमावत कालोनी, झोटवाडा, जयपुर हाल डिलीवरी मैन, मैसर्स राजेन्द्र गैस सर्विस जयपुर।
2. श्री उमेश सैनी पुत्र श्री राजपाल सैनी, निवासी ए–6, कुमावत कालोनी, झोटवाडा, जयपुर।
3. मैसर्स राजेन्द्र गैस सर्विस, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 32 घरेलू गैस सिलेण्डर 01 पीतल की बांसूरी (गैस स्थानान्रण यंत्र) व एक फोर्स ट्रम्प–15 लोडिंग टैम्पो नम्बर आर.जे.–14–जी.सी. 7944 को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 11-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.10.2012 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार मैसर्स राजेन्द्र गैस सर्विस आई.ओ.सी. के हॉकर खातीपुरा पुलिया के पास, कुमावत कालोनी, रेल्वे ट्रेक के पास प्लाट नम्बर एस–6 जिसके मालिक चन्दाराम रावत है के मकान के सामने शहतूत के पेडे के नीचे भरे हुये घरेलू गैस सिलण्डरों से खाली घरेले गैस सिलेण्डरों में गैस अन्तरण कर रहा है की सूचना प्राप्त होने पर थाना झोटवाडा से हैड कानिस्टेबल श्री भैरूलाल बैल्ट नम्बर 536 को साथ लेकर उक्त स्थल पर पहुचें। उक्त स्थल पर आर.जे. 14 जी.सी. 7944 (फोर्स ट्रम्प–15) खडी मिली जिसमें 27 आई.ओ.सी. के गैस सिलेण्डर सील्ड मिले तथा आई.ओ.सी. के 5 गैस सिलेण्डर नीचे जमीन पर रखे मिले। मौके पर मैसर्स श्रावणी एच.पी. गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री विवेक बीवाल को तौल मशीन लेकर बुलवाया गया तथा सिलेण्डरों का तौल करवाया गया। वाहन में रखे गैस सिलेण्डरों को तौल कराने पर वजन गैस मात्रा अनुज्ञेय सीमा में पायी गयी। जो तकपट्टी में अंकित है। जमीन में रखे 5 सिलेण्डरों को तुलवाने पर उनमें क्रमशः 2 किलोग्राम, 0.9 किलोग्राम, 1.200 किलोग्राम गैस कम पायी गई व एक खाली व एक में 04 किलोग्राम गैस होना पाया गया। इस प्रकार आई.ओ.सी. सिलेण्डर एसआर नम्बर 033890 में पीतल की बांसूरी (गैस अन्तरण यंत्र) द्वारा सिलेण्डर एसआर नम्बर 676034, 987388 व 62289 से घरेलू गैस अन्तरण होना पाया गया। मौके पर उक्त कार्य श्री गोपाल गुर्जर व श्री उमेश द्वारा किया जा रहा था। पूछताछ पर श्री गोपाल गुर्जर ने बताया कि वह मैसर्स राजेन्द्र गैस सर्विस के डिलीवरीमैन है तथा श्री उमेश उसका सहायक है। वे कम वजन वाले गैस सिलेण्डरों को गैस एजेन्सी की पर्ची पर अंकित मूल्य

जिला कलक्टर
जयपुर

पर उपभोक्ताओं को देते है। इस प्रकार श्री गोपाल गुर्जर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से दूसरे घरेलू गैस सिलेण्डरों में बांसूरी से गैस का अन्तरण करना, कम वजन वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं को पूरी कीमत पर देना, कम्पनी की सील हटाना, निकाली गयी घरेलू गैस को अनाधिकृत उपभोक्ताओं को ज्यादा मूल्य पर बेचकर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000, के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा–3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर पाये गये 32 घरेलू गैस सिलेण्डर पीतली की बांसूरी व वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.सी. 7944 (फोर्स ट्रम्प–15) को कब्जे राज लिया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से 32 घरेलू गैस सिलेण्डर को मैसर्स श्रावणी एच.पी. गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री विवेक बींवाल पुत्र श्री सोहनलाल बीवाल, निवासी प्लाट नम्बर 72, दादाबाडी, अल्का सिनेमा के पीछे, जयपुर की तथा 1 लोहे की बांसूरी व वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.सी. 7944 (फोर्स ट्रम्प–15) को पुलिस थाना झोटवाडा जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 601 दिनांक 30.10.2012 दर्ज कराते हुये सुपुदर्गी में दिया गया। इस जब्तशुदा 32 घरेलू गैस सिलेण्डर लोहे की बांसूरी व वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.सी. 7944 (फोर्स ट्रम्प–15) को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 09.11.2012 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। दिनांक 27.11.2012 को वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.सी. 7944 (फोर्स ट्रम्प–15) जमानत सुपुदर्गीनामें पर रिलीज किया गया। नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत की गई। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नहीं करने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये । अतः पत्रावली बहस पैराकार रसद हेतु नियत की गई

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के मैसर्स राजेन्द्र गैस सर्विस आई.ओ.सी. के हॉकर श्री गोपाल गुर्जर व सहायक श्री उमेश द्वारा खातीपुरा पुलिया के पास, कुमावत कालोनी, रेल्वे ट्रेक के पास प्लाट नम्बर एस–6 के सामने शहतूत के पेडे के नीचे भरे हुये घरेलू गैस सिलण्डरों से खाली घरेले गैस सिलेण्डरों में गैस अन्तरण किया जा रहा था। मौके पर आर.जे. 14 जी.सी. 7944 (फोर्स ट्रम्प–15) खडी मिली जिसमें 27 आई.ओ.सी. के गैस सिलेण्डर सील्ड मिले तथा आई.ओ.सी. के 5 गैस सिलेण्डर नीचे जमीन पर रखे मिले। मौके पर मैसर्स श्रावणी एच.पी. गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री विवेक बीवाल को तौल मशीन लेकर बुलवाया गया तथा सिलेण्डरों का तौल करवाया गया। वाहन में रखे गैस

जिला कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

सिलेण्डरों को तौल कराने पर वजन गैस मात्रा अनुज्ञेय सीमा में पायी गयी। तो तकपट्टी में अंकित है। जमीन में रखे 5 सिलेण्डरों को तुलवाने पर उनमें क्रमशः 2 किलोग्राम, 0.9 किलोग्राम, 1.200 किलोग्राम गैस कम पायी गई व एक खाली व एक में 04 किलोग्राम गैस होना पाया गया। इस प्रकार आई.ओ.सी. सिलेण्डर एसआर नम्बर 033890 में लोहे की बांसूरी (गैस अन्तरण यंत्र) द्वारा सिलेण्डर एसआर नम्बर 676034, 987388 व 62289 से घरेलू गैस अन्तरण होना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों से दूसरे घरेलू गैस सिलेण्डरों में बांसूरी से गैस का अन्तरण करना, कम वजन वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं को पूरी कीमत पर देना, कम्पनी की सील हटाना, निकाली गयी घरेलू गैस को अनाधिकृत उपभोक्ताओं को ज्यादा मूल्य पर बेचकर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000, के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा–3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 32 घरेलू गैस सिलेण्डर लोहे की बांसूरी व वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.सी. 7944 (फोर्स ट्रम्प–15) को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 30.10.2012 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका अवैध अन्तरण किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा उपभोक्ताओं को डिलीवरी होने वाले घरेलू गैस सिलण्डरों से खाली घरेलू गैस सिलेण्डरों में गैस अन्तरण किया जा रहा था। मौके पर आर.जे. 14 जी.सी. 7944 में 27 आई.ओ.सी. के गैस सिलेण्डर सीह्ड मिले तथा आई.ओ.सी. के 5 गैस सिलेण्डर नीचे जमीन पर रखे मिले। जमीन में रखे 5 सिलेण्डरों को तुलवाने पर उनमें 04 किलोग्राम गैस कम होना पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा लोहे की बांसूरी (गैस अन्तरण यंत्र) द्वारा सिलेण्डर से घरेलू गैस अन्तरण होना पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 32 घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 पीतल की बांसूरी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है । प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 32 घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 पीतल की बांसूरी को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जमानत सुपुदर्गी नामें पर रिलीज वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.सी. 7944 (फोर्स ट्रम्प–15) के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 09.11.2012 को पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करं।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर